छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 495/2009

1.	कु0 निर्मला देवांगन, ग्राम–उरला, पोस्ट–मोहन नगर, थाना–पुलगॉव, तह0+जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//

(दिनांक 10 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी कु0 निर्मला देवांगन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 24.02.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.03.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 01.04.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और अपीलार्थी द्वारा पत्र भेजा गया कि प्रकरण का निराकरण उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण के दस्तावेज को देखकर गुण–दोष के आधार पर किया जावे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर प्रति अपीलार्थी के तर्क सुने गये। प्रति अपीलार्थी ने बताया कि चाही गई जानकारी अत्यंत विस्तृत है और अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि चूंकि जानकारी अस्पष्ट थी, अतः कार्यालय में आकार अपना आवेदन स्पष्ट करें, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में प्रथम अपील का आवेदन डाक विभाग द्वारा गलत जगह पर दिये जाने और इंकार करने का उल्लेख है, अतः इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय में डाक प्राप्त करने की उचित व्यवस्था करें और उसका समुचित प्रचार–प्रसार करावे तथा डाक विभाग को भी इस संबंध में आवश्यकतानुसार सूचित करें। अपीलार्थी के आवेदन को देखने से स्पष्ट है कि बहुत ही विस्तृत जानकारी मॉगी गई है, अतः प्रकरण में अब जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को अपने कार्यालय में बुलाकर उनके आवेदन को संक्षिप्त और स्पष्ट करवा लें और उसके बाद संबंधित रिकार्ड का 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क निरीक्षण करवा दिया जावे और उसमें से उनसे सूची लेकर राशि 50/– रूपये तक की जानकारी उन्हें निःशुल्क दी जावे तथा उससे अधिक की जानकारी चाहे तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर तीस दिवस के अन्दर जानकारी प्रदान कराया जावे। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com